राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

टेली फेक्स : 0141–2222403, 2222805 ई–मेल : dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट: WWW.lsg.urban.rajasthan.gov.in

F. 55 ( )CE/DLB/Road repair/Restoration Work/2017-18/RUIRP-I/42329-527 Date: 30/05/18

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान।
2. आयुक्त, नगर निगम, समस्त।
3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर परिषद/पालिका (समस्त)।

विषय : बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़को का निर्माण/मरम्मत कार्य करवाने बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक: 1194–1424 दिनांक 23.03.2018 26401–592 दिनांक 04.04.2018 एवं 34482–34531 दिनांक 04.05.2018 के क्रम में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project (RUIRP) Phase- I के तहत राज्य के समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जा रहे है। उक्त सड़क कार्यो के लिए स्वायत्त शासन विभाग को प्रशासनिक विभाग एवं रूडसिको को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। सड़क निर्माण, रिपेयर/पुनर्रूद्धार कार्य हेतु स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र सं. 2846–3676 दिनांक 13.10.2017 एवं 3428 दिनांक 23.10.2017 के अनुसरण में रूडसिको द्वारा समस्त 191 नगर निकायों के लिये निविदा प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यवाही की गई थी। जिसकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

1. 99 नगर निकायों (102 पैकेज) को LoI जारी किया जाकर सम्बन्धित स्थानीय निकायों को NTP जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिनमें से 92 नगर निकायों द्वारा 95 पैकेजो के Notice to Proceed (NTP) जारी किये जा चुके है।
2. शेष रही 7 नगर निकाय : जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, पुष्कर, राजगढ़ (अलवर), जहाजपुर एवं देशनोक को निर्देशित किया जाता है की वे शीघ्र ही इन कार्यो की NTP जारी कर विभाग व RUDSICO को सूचित करें।
3. जिन नगर निकायों द्वारा सड़क मरम्मत/सुधार कार्यो के NTP जारी किये जा चुके हैं, उन नगर निकायों के कार्यो का नियमित रूप से संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय),

स्थानीय निकाय विभाग, महापौर/सभापति/अध्यक्ष एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी एवं अभियन्तागणों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण एवं सुपरविजन किया जावें।

4. शेष 92 स्थानीय निकायो (97 पैकेज) को अपने स्तर पर सड़क कार्यो की निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। RUDSICO द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार स्थिति निम्नानुसार है :–

(i) **6 नगर निकायों** – गुलाबपुरा, सांगोद, कैथून, पिण्डवाड़ा, अन्ता एवं बिसाऊ में निविदायें अनुमोदन प्रक्रिया में हैं।

(ii) <u>47 नगर निकायों में निविदायें मूल्यांकन प्रक्रिया में हैं :</u> (1) विद्याधर नगर जोन–I, जयपुर (2) फतेहपुर शेखावाटी (3) टोडारायसिंह (4) नवलगढ़ (5) विद्याविहार (6) पिलानी (7) राजगढ़ (चूरू) (8) बाड़मेर (9) बाली (पाली) (10) श्रीडूंगरगढ़ (11) सुमेरपुर (12) आसीन्द (13) भीनमाल (14) हनुमानगढ़ (15) संगरिया (16) पीलीबंगा (17) नोहर (18) राजलदेसर (19) रतननगर (20) सरदारशहर (21) पदमपुर (22) श्रीकरनपुर (23) श्रीविजयनगर (24) नसीराबाद (25) विजयनगर (26) किशनगढ़ (27) देवली (28) अजमेर (29) गंगापुर (30) कोटा (31) बून्दी (32) भवानीमण्डी (33) झालरापाटन (34) पिड़ावा (35) अकलेरा (36) बारां (37) मांगरोल (38) डीग (39) रावतसर (40) सागवाड़ा (41) श्रीमाधोपुर (42) करौली (43) कुम्हेर (44) नगर (45) नदबई (46) वैर (47) बीदासर।

(iii) <u>25 नगर निकायों में निविदायें/बिड़ प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रिया में हैं :</u> (1) सिविल लाईन जोन, जयपुर (2) हवा महल (पूर्व), जयपुर (3) हवा महल (पश्चिम) जोन, जयपुर (4) आमेर जोन, जयपुर (5) सूरजगढ़ (6) उदयपुरवाटी (7) महवा (8) भिवाड़ी (9) खेरली (10) तख्तगढ़ (11) आबूरोड़ (12) अनूपगढ़ (13) गजसिंहपुर (14) रायसिंहनगर (15) केसरीसिंहपुर (16) श्रीगंगानगर (17) सार्दुलशहर (18) सूरतगढ़ (19) सरवाड़ (20) केकड़ी (21) शाहपुरा (22) ईटावा (23) झालावाड़ (24) रावतभाटा (25) लालसोट।

उक्त स्थानीय निकायों को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त निविदाओं का तुरन्त तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन करते हुये स्पष्ट प्रस्ताव सहित निम्नलिखित बिन्दुओ की पालना करते हुए राज्य स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। समिति की आगामी बैठक दिनांक 05.06.2018 को कार्यकारी निदेशक, रूडसिको की अध्यक्षता में होना प्रस्तावित है।

1. पुनः निविदायें आमंत्रित करने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया RTPP नियम के अनुसार करने की जिम्मेदारी नगर निकायों की होगी।

2. यदि नगर निकायों द्वारा प्रस्तावित सड़क मरम्मत/सुधार कार्यों की सूची में परिवर्तन करना, पैकेज साइज का विभाजन करना, तकमीना में संशोधन किया जाना आवश्यक हो, तो विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.03.2018, दिनांक 04.04.2018 एवं दिनांक 04.05.2018 में वर्णित शर्तों की, अनुपालना करते हुए विभाग के समसंख्यक पत्रांक 2846–3076 दिनांक 13.10.2017 एवं 3428 दिनांक 23.10.2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

3. नगर निकाय संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति विभाग के समसंख्यक पत्रांक 2846–3076 दिनांक 13.10.2017 एवं 3428 दिनांक 23.10.2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से प्राप्त करने के उपरान्त अपने स्तर पर निविदायें जारी करें। निविदा का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्याकंन करते हुये मूल्याकंन उपरान्त नोडल अधिकारी के माध्यम से स्पष्ट अभिशंषा सहित प्रस्ताव RUDSICO स्तर पर गठित राज्य स्तरीय निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

(iv) <u>18 नगर निकायों, जिनके द्वारा निविदायें आमंत्रित/प्राप्त की जानी हैं :</u>
(1) छबड़ा (2) खैरथल (3) किशनगढ़बास (4) माउण्ट आबू (5) जालौर (6) जैतारण(7) माण्डलगढ़ (8) बीकानेर (9) उनियारा (10) चिड़ावा (11) खेतड़ी (12) मण्डावा (13) चौमूँ (14) झुन्झुनु (15) बग्गड़ (16) बहरोड़ (17) पीपाड़सिटी (18) सोजतसिटी।

जिन 18 स्थानीय निकायो द्वारा अभी तक भी निविदायें आमंत्रित नहीं की गई है, उनके द्वारा निविदा प्रक्रिया में किये जा रहे अनावश्यक विलम्ब को राज्य सरकार द्वारा काफी गम्भीरता से लिया गया है। इन नगर निकायों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे नगर निकाय इस विभाग के आदेश क्रमांक 2846–3076 दिनांक 13.10.2017, 3428 दिनांक 23.10.2017 एवं RTPP Act की पालना करते हुए अल्पकालीन निविदाएँ तुरन्त जारी करते हुये, निम्न तालिका अनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें :–

क्र.स.	निविदा से सम्बन्धित कार्यवाही का विवरण	दिनांक
1.	स्थानीय निकाय स्तर पर निविदा सूचना जारी करना	31.05.2018
2.	ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदायें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.06.2018
3.	भौतिक दस्तावेज प्राप्त करने की तिथि एवं ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्राप्त तकनीकी बिड़ को खोलने की तिथि	21.06.2018 2:00 बजे एवं 21.06.2018 3:00 बजे
4.	प्राप्त तकनीकी बिड़ का मूल्यांकन करना	22.06.2018
5.	तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बिड़र्स की वित्तीय बिड़ खोलना	27.06.2018
6.	यदि आवश्यक हो, तो प्राप्त दरों के सम्बन्ध में न्यूनतम निविदादाता से नेगोसियेशन करना	29.06.2018

7.	प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करना।	30.06.2018
8.	सड़क निर्माण एवं सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/ पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो को पूर्ण करना	30.10.2018

5. सभी 191 स्थानीय निकायो में क्षतिग्रस्त सड़को के मरम्मत कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा हुडको से ऋण लेने की कार्यवाही की जा रही है। ऋण सम्बन्धित प्रक्रिया हेतु रूडसिको द्वारा सहमति पत्र का प्रारूप भिजवाया गया था, परन्तु कतिपय नगर निकायो से आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त सहमतिपत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुये है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि जिन नगर निकायों ने अभी तक सहमति पत्र RUDSICO को प्रेषित नहीं किये गये हैं, वे तुरन्त हस्ताक्षरयुक्त सहमति पत्र प्रेषित करें। सहमति पत्र के अभाव में सम्बन्धित स्थानीय निकायों को राज्य सरकार/ रूडसिको द्वारा ऋण राशि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।

उपरोक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रगति रिपोर्ट से अविलम्ब विभाग को अवगत करायें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

F. 55 ( )CE/DLB/Road repair/Restoration Work/2017-18/RUIRP-I/42528-779 Date :30/05/18

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, लालकोठी स्कीम, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम (सम्भाग प्रभारी), राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद (जिला मुख्यालय), समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता